The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 2 | Issue 6 | June 2024
ISSN: 2583-973X (Online)
Website: www.theacademic.in

घरेलू महिला श्रमिकों की सामाजिक समस्याएं

डॉ. सुरेश कुमार
यू. जी.सी. नेट, पी – एच. डी.
पूर्व शोधार्थी
विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभाग, ल.ना. मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Keywords:

असंगठित क्षेत्र, घरेलू श्रमिक, अकुशल श्रमिक, सामाजिक सुरक्षा कानून, घरेलू सेवा क्षेत्र

ABSTRACT

भारत में कार्यरत अधिकांश महिला श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करती हैं, जिनमें से अधिकतर घरेलू श्रमिक के रूप में घरेलू सेवा क्षेत्र में कार्यरत हैं । परंतु आज घरेलू महिला श्रमिकों को कार्य स्थल पर कई प्रकार की सामाजिक – आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है । इनमें एक प्रमुख समस्या है – कार्य स्थल पर घरेलू महिला श्रमिकों के साथ होने वाला सामाजिक भेदभाव। प्रस्तुत आलेख में दरभंगा नगर की घरेलू महिला श्रमिकों द्वारा समाज में और कार्यस्थल पर भोगी जाने वाली सामाजिक भेदभाव के विविध स्वरूपों को समझने का प्रयास किया गया है। साथ ही इसके समाधान के लिए आवश्यक सुझाव भी बताए गए हैं।

भूमिका :

घरेलू सेवा क्षेत्र असंगठित क्षेत्र में तेजी से बढ़ने वाला सेक्टर है। हाल के दशकों में महानगरों से लेकर छोटे नगरों तक घरेलू सेवा क्षेत्र का तेजी से विस्तार हुआ है। छोटे नगरों में भी कामकाजी महिलाओं की संख्या बढ़ी है। ऐसे में नगरीय परिवारों में घर के कामों के लिए तथा बच्चों और वृद्धों की देखभाल के लिए घरेलू महिला श्रमिक की जरूरत पड़ी। दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रमुखतया कृषि आधारित होते हैं और इनकी प्रकृति मौसमी होती है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं भी रोजगार की तलाश में नगरों की ओर रुख करती हैं। परंतु अधिकतर महिलाएं शिक्षा और कौशल के अभाव में नगरों में घरेलू श्रमिकों के रूप में कार्य करने को विवश हैं।

घरेलू कार्यों विशेष रूप से खाना पकाने, झाड़ू पोछा, रसोई के कामों और बच्चों के लालन – पालन आदि काम के लिए नियोक्ता की पहली पसंद महिला श्रमिक ही होती हैं। पितृसत्तात्मक समाज में यह सामाजिक मान्यता होती है कि महिला में कुछ नैसर्गिक गुण और अंतर्भूत कौशल होता है जो महिला को घरेलू सेवा कार्य के लिए सर्वथा उपयुक्त बनाता है। ऐसे में घर का काम करने और रसोई संभालने की जिम्मेवारी महिला की होती है।

कार्यस्थल पर घरेलू महिला श्रमिकों को सामाजिक भेदभाव और सामाजिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। कई शोध अध्ययनों में शोधकर्ताओं द्वारा घरेलू महिला श्रमिकों के साथ होनेवाले भेदभाव और नियोक्ता द्वारा किए जाने वाले दुर्व्यवहार का जिक्र किया गया है।

पूर्व साहित्य की समीक्षा :

दुष्यंत (2022) ने रांची नगर की घरेलू महिला श्रमिकों पर किए गए अपने अध्ययन में यह पाया है कि कार्यस्थल पर इनके साथ भेदभाव होता है। इन्हें नियोक्ता के घर के शौचालय के इस्तेमाल की मनाही होती है। उन्हें अपार्टमेंट में पुरुष गार्ड के लिए बने शौचालय को इस्तेमाल करने को कहा जाता है ,जो गंदे और असुरक्षित होते हैं। इनके खानपान के बर्तन भी अलग रखे जाते हैं। नियोक्ता का उनके साथ व्यवहार क्रूरतापूर्ण होता है। इसके अंतर्गत गाली गलौज ,मारपीट तथा वेतन काट लेना अथवा वेतन रोकना शामिल है।

विगो (2021) ने पटना नगर के घरेलू महिला श्रमिकों के अध्ययन में यह पाया कि कार्यस्थल पर इन्हें सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। घरेलू महिला श्रमिकों को नियोक्ता के घर के शौचालय के इस्तेमाल की इजाजत नहीं थी। उनके खाने के बर्तन और कप आदि अलग होते हैं । मुस्लिम घरेलू महिला श्रमिक हिंदू नियोक्ता के घरों में घरेलू सेवा कार्य के लिए नहीं रखे जाते हैं ।

एस. दुर्गा देवी (2020) ने अपने अध्ययन में घरेलू महिला श्रमिकों के साथ नियोक्ता द्वारा किए जाने वाले जाति के आधार पर भेदभाव का उल्लेख किया है। नियोक्ता घर के कार्य का विभाजन जाति के आधार पर करता है। पिछड़ी जाति की घरेलू महिला श्रमिक अधिकतर घरों में झाड़ू पोछा का काम करती है जबकि उच्च जाति की घरेलू महिला श्रमिक प्रायः रसोई घर में खाना पकाती है।

लाहिड़ी,तृप्ति (2017) ने दिल्ली में कार्यरत पूर्णकालिक घरेलू महिला श्रमिकों की दयनीय सामाजिक और आर्थिक दशाओं का अध्ययन किया है । ये काम की तलाश में देश के दूर दराज के क्षेत्रों यथा बिहार, बंगाल, झारखंड और असम आदि से दिल्ली आयी हैं। अध्ययन के दौरान पाया कि इन्हें नियोक्ता के घर के अंदर कई अमानवीय स्थिति का सामना करना पड़ता है जैसे – मारपीट, गाली गलौज, भेदभाव करना,यौन शोषण, घर के सदस्यों से मिलने नहीं देना।

मेहरोत्रा (2010) दिल्ली की घरेलू महिला श्रमिकों की दशा और कार्यस्थल पर मिलने वाली चुनौतियों का अध्ययन करते हैं। इन्हें कार्य स्थल पर गाली गलौज, शारीरिक प्रताड़ना और यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।

कई पूर्व साहित्य की समीक्षा से स्पष्ट है कि कार्यस्थल पर घरेलू महिला श्रमिकों के साथ धर्म, जाति, लिंग और वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता है तथा उन्हें दुर्व्यवहार और प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है।

अध्ययन क्षेत्र :

अध्ययन का क्षेत्र बिहार राज्य का दरभंगा नगर है। वर्तमान में यह नगर जिला मुख्यालय तथा प्रमंडलीय मुख्यालय है। यह नगर बागमती नदी के तट पर बसा हुआ है। यह मिथिला संस्कृति का केंद्र रहा है। यह अपनी संस्कृति और बौद्धिक

परंपरा के लिए विख्यात रहा है। यह संस्कृत और मैथिली भाषा के अध्ययन का प्रमुख केंद्र रहा है।

दरभंगा नगर 16वीं शताब्दी में राज दरभंगा की राजधानी थी। ब्रिटिश सरकार ने 1854 ई. में दरभंगा सदर को नगर निकाय का दर्जा दिया था। देश की स्वतंत्रता के पश्चात 1961 ई. में दरभंगा को नगर को दर्जा दिया गया था।

दरभंगा नगर निगम की स्थापना 23 अगस्त 1982 को हुई थी। वर्तमान में दरभंगा नगर में 48 प्रशासनिक इकाई या वार्ड हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार दरभंगा नगर की आबादी दो लाख छियानवे हजार उनचालिस थी जिसमें महिलाओं की संख्या एक लाख चालीस हजार चार सौ दो थी।

अध्ययन का उद्देश्य :

घरेलू महिला श्रमिकों की सामाजिक दशा का अध्ययन करना

घरेलू महिला श्रमिक द्वारा कार्यस्थल पर भोगी जानेवाली सामाजिक भेदभाव का अध्ययन करना

कार्यस्थल पर नियोक्ता द्वारा किए जानेवाले दुर्व्यवहार की पड़ताल करना

समस्या के समाधान हेतु सुझाव देना

आंकड़ों के स्रोत :

प्रस्तुत शोध अध्ययन द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है । यह द्वितीयक आंकड़े पूर्व शोध

अध्ययनों, सरकारी गजट, सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों द्वारा जारी रिपोर्टों, जर्नल्स में प्रकाशित शोध आलेखों, पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों आदि से लिए गए हैं।

परिचर्चा और विश्लेषण :

घरेलू महिला श्रमिकों की सामाजिक समस्याओं से संबंधित कई अध्ययन पूर्व में किए गए हैं। इसमें शोधार्थियों ने उनकी सामाजिक दशा, सामाजिक भेदभाव तथा दुर्व्यवहार के विविध स्वरूपों का अध्ययन किया है।

विगो (2021) ने अपने अध्ययन में पटना नगर की घरेलू महिला श्रमिकों के साथ धर्म और जाति के आधार होने वाले सामाजिक भेदभाव के बारे में बताया है। प्रायः काम पर रखने से पूर्व नियोक्ता द्वारा घरेलू महिला श्रमिक की धर्म और जाति पूछी जाती है। हिंदू घरों में मुस्लिम घरेलू महिला श्रमिक घरेलू सेवा के लिए नहीं रखे जाते हैं। घरेलू महिला श्रमिक अधिकांशतः निम्न जाति समूहों – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग से आती हैं । कई घरों में इन्हें रसोईघर और पूजा घर में प्रवेश की अनुमति नहीं होती है। अस्पृश्य जाति की महिला प्रायः काम पर नहीं रखी जाती हैं।

औगस्तिन और सिंह,(2016) ने लखनऊ नगर की घरेलू महिला श्रमिकों की कार्यदशा का अध्ययन किया है। इन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि 90 प्रतिशत से अधिक उत्तरदात्री अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग जाति समूह से आती हैं। इनमें से लगभग 38 प्रतिशत निरक्षर थी। 68 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जैसे छेड़छाड़, अनावश्यक रूप से छूना आदि की शिकायत की थी।

दुष्यंत (2022) ने बताया है कि कई घरों में घरेलू महिला श्रमिकों को काम के दौरान नियोक्ता के घर के शौचालय के इस्तेमाल की मनाही होती है। उन्हें खुले में या अपार्टमेंट में पुरुष गार्ड के लिए बने शौचालय को इस्तेमाल करने को कहा जाता है, जो गंदे और महिलाओं के लिए असुरक्षित होते हैं। कार्यस्थल पर इनके बर्तन भी अलग रखे जाते हैं ।

घरेलू महिला श्रमिकों को कार्यस्थल पर लिंग आधारित भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। समान कार्य के लिए पुरुष और महिला घरेलू श्रमिक के वेतन और काम के घंटे आदि में अंतर होता है। समान वेतन की मांग करने पर महिला घरेलू श्रमिक प्रताड़ित या नौकरी से निकाले भी जा सकते हैं।

कुमार, एस. (2023) ने दरभंगा नगर की घरेलू महिला श्रमिकों की सामाजिक – आर्थिक दशाओं पर एक अध्ययन किया है । उन्होंने सुविधाजनक प्रतिदर्शन द्वारा दरभंगा नगर की 240 उत्तरदात्रियों का चयन प्रतिदर्श के तौर पर किया है। प्रतिदर्श का चुनाव दरभंगा नगर के सभी वार्डों से किया गया है।

उन्होंने अध्ययन में यह पाया कि शतप्रतिशत उत्तरदात्रियों को घरेलू महिला श्रमिक के रूप में काम पर रखने से पूर्व उनकी जाति और धर्म पूछी गई थी। नियोक्ता द्वारा अन्य धर्म के घरेलू महिला श्रमिक को काम पर नहीं रखा जाता

है। जातिगत भेदभाव भी देखने को मिलता है। उच्च जाति वाले नियोक्ता के घरों में अस्पृश्य जाति की घरेलू महिला श्रमिक को काम पर नहीं रखा जाता

है।

उन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि कार्यस्थल पर नियोक्ता द्वारा मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई जाती है । 84 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने शोधकर्ता को बताया कि उन्हें कार्यस्थल पर शौचालय के प्रयोग की अनुमति नहीं है , केवल 16 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने बताया कि उन्हें काम के दौरान शौचालय के उपयोग की मनाही नहीं है।

शोधकर्ता ने अध्ययन के दौरान यह भी पाया कि कार्यस्थल पर घरेलू महिला श्रमिक को खानपान संबंधी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। 94 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने बताया कि इनके खाने पीने के बर्तन नियोक्ता द्वारा अलग रखे जाते हैं । केवल 6 प्रतिशत उत्तरदात्री ने खान पान संबंधी किसी भी भेदभाव से इंकार किया है। शतप्रतिशत उत्तरदात्रियों ने बताया कि उन्हें नियोक्ता के डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने की अनुमति नहीं है। वे नियोक्ता के घर के आंगन या बरामदे के कोने में बैठकर खाना खाती हैं।

नियोक्ता का घरेलू महिला श्रमिक के प्रति व्यवहार सौहाद्रपूर्ण नहीं होता है। लगभग 96 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने बताया कि घरेलू महिला श्रमिकों के प्रति नियोक्ता का व्यवहार सामान्य नहीं है। इन्हें अक्सर बेवजह डांट फटकार और काम से निकाले जाने की धमकी दी जाती है। घरेलू महिला श्रमिकों पर सर्वाधिक मिथ्या आरोप लापरवाही से काम करने के लगाए जाते हैं। केवल 4 प्रतिशत उत्तरदात्री ने नियोक्ता का व्यवहार सामान्य पाया है।

अध्ययन के दौरान घरेलू महिला श्रमिकों ने कार्यस्थल पर नियोक्ता द्वारा दुर्व्यवहार और प्रताड़ना की बात कही है। 83 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने कार्यस्थल पर घरेलू महिला श्रमिकों के साथ मौखिक दुर्व्यवहार की बात कही है। वहीं 14

प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने शारीरिक प्रताड़ना और यौन उत्पीड़न की बात कही है। ऐसा कहने वालों में अधिकांशतः पूर्णकालिक घरेलू महिला श्रमिक थे। शारीरिक उत्पीड़न के अंतर्गत मारपीट करना, दाग देना और गरम पानी से जलाना आदि शामिल हैं।

शोधकर्ता द्वारा उत्तरदात्रियों से उनके पेशे के बारे में राय पूछे जाने पर शतप्रतिशत उत्तरदात्रियों ने यह माना है कि यह पेशा समाज में सम्मानजनक नहीं है। उन्हें यह काम करते हुए निम्न सामाजिक प्रस्थिति का बोध होता है।

निष्कर्ष :

उपरोक्त परिचर्चा से घरेलू महिला श्रमिकों की सामाजिक दशा और कार्यस्थल पर भेदभाव संबंधी कई बातें स्पष्ट होती है।

धर्म और जाति संबंधी भेदभाव : नियोक्ता घरेलू महिला श्रमिकों के साथ धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं। नियोक्ता दूसरे धर्म के घरेलू महिला श्रमिकों को काम पर नहीं रखना चाहते हैं। अस्पृश्य जाति के घरेलू महिला श्रमिकों को प्रायः रसोई बनाने जैसे कामों कामों के लिए नहीं रखा जाता है।

शौचालय के प्रयोग की मनाही : नियोक्ता महिला घरेलू श्रमिक को बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराते हैं। उन्हें कार्यस्थल पर घर के शौचालय के उपयोग की अनुमति नहीं होती है। उन्हें आवश्यकता होने पर बाहर जाना पड़ता है अथवा घर वापस लौटने तक शौच रोके रखना पड़ता है। यह अत्यंत अमानवीय स्थिति होती है।

कार्यस्थल पर खान–पान संबंधी भेदभाव : घरेलू महिला श्रमिक को नियोक्ता के डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने की अनुमति नहीं होती है। उन्हें घर के बरामदे या आंगन के कोने में बैठकर खाना पड़ता है । इनके खाने पीने के बर्तन भी अलग रखे जाते हैं। यह नियोक्ता के मानसिक छुआछूत के भाव को दर्शाता है।

नियोक्ता का व्यवहार : सामान्यतया नियोक्ता का व्यवहार घरेलू महिला श्रमिकों के प्रति असामान्य रहता है। उन्हें कार्यस्थल पर मौखिक दुर्व्यवहार, शारीरिक प्रताड़ना और यौन उत्पीड़न जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है । मौखिक दुर्व्यवहार के अंतर्गत मुख्यरूप से अनावश्यक रूप से डांट फटकार

करना, गाली देना, जाति सूचक टिप्पणी करना,और परिवार के बारे में अभद्र बातें करना शामिल है । कई पूर्णकालिक घरेलू श्रमिकों ने कार्यस्थल पर शारीरिक प्रताड़ना और यौन उत्पीड़न की बात स्वीकारी है ।

सुझाव :

विशिष्ट कानून : घरेलू सेवा क्षेत्र की विशिष्ट प्रकृति को देखते हुए घरेलू महिला श्रमिकों के लिए एक विशिष्ट कानून की आवश्यकता है। घरेलू सेवा क्षेत्र को वैधानिक रूप से कार्यस्थल के रूप में मान्यता देनी चाहिए। बिहार न्यूनतम मजदूरी कानून 1951 का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

जन जागृति : सामाजिक भेदभाव तथा छुआछूत एक सामाजिक समस्या है। केवल कानूनी प्रावधानों द्वारा इसका निराकरण नहीं किया जा सकता है। इसके लिए समाज में जन जागृति चलानी होगी। यह समझना होगा कि कोई भी पेशा छोटा या बड़ा नहीं होता है। हर पेशे का समाज में अपना महत्व होता है। अतः पेशे के आधार पर भेदभाव सर्वथा गलत है। इसके लिए समाज में एक मुहिम चलाई जानी चाहिए।

शिक्षा का प्रसार : घरेलू महिला श्रमिक का कार्य करनेवाली प्रायः अशिक्षित और अल्प शिक्षित होती हैं। इनमें कौशल का अभाव होता है। अतः इनकी शिक्षा और कौशल विकास के लिए प्रयास करने होंगे । वयस्क शिक्षा केन्द्रों को भी सक्रिय करना होगा। एक शिक्षित घरेलू महिला श्रमिक ही कार्यस्थल पर मिलने वाली सामाजिक चुनौतियों का बेहतर मुकाबला कर सकती है।

संदर्भ ग्रंथ :

कुमार, एस.(2023) : घरेलू महिला श्रमिकों की समस्याएं : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन, ल.ना.मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।

दुष्यंत (2022), व्हाय डू वी ट्रीट और डॉमेस्टिक वर्कर सो क्रूअली द टाइम्स ऑफ इंडिया, रांची संस्करण,रांची।

विगो (2021). ए रिपोर्ट ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स एंड देयर सोशल पार्टिसिपेशन इन बिहार स्टेट।

एस.दुर्गा देवी (2020) , प्लाइट ऑफ वीमेन डॉमेस्टिक वर्कर्स इन इंडिया, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लॉ मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटीज ,3(6) 499– 456

एन.नीता (2019) वर्किंग एट अदर होम्स : द स्पेसिफिक एंड चौलेंज ऑफ पेड डॉमेस्टिक वर्कर्स, तूलिका बुक्स, चेन्नई।

महंत, उपासना और गुप्ता, इंद्रनाथ (2019). रिकॉग्निशन ऑफ द राइट्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स इन इंडिया : चौलेंज एंड द वे फॉरवार्ड, स्प्रिंगर, सिंगापुर।

तिवारी, मीनाक्षी (2018) : द साइलेंस दैट सराउंड द एब्यूज एंड एक्सप्लोइटेशन ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स , द वायर, नई दिल्ली।

लाहिड़ी, तृप्ति (2017), मेड इन इंडिया : स्टोरीज ऑफ इनिक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी इनसाइड आवर्स होम्स, अल्फा बुक कम्पनी, नईदिल्ली।

अगस्टाइन, रुबीना और सिंह,रूपेश (2016). कंडीशन एंड प्रॉब्लम्स ऑफ फीमेल डोमेस्टिक वर्कर्स विथ स्पेशल रेफरेंस टू एलडीए कॉलोनी इन लखनऊ सिटी , इंडिया. जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क 4(2),110 –117

के.रामादेवी (2015), वूमेन डॉमेस्टिक वर्कर्स एंड देयर फैमिली लाइफ : ए केस स्टडी ऑफ गुलबर्गा सिटी, गुलबर्गा विश्वविद्यालय, कलबुर्गी।

शंकरण,कमला (2013). डोमेस्टिक वर्क, अनपेड वर्क एंड वेज रेट्स. इकोनामिक एंड पॉलीटिकल वीकली, अंक 43, पृ.85–90.

मेहता,आर.(2012) , वूमेन वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ,झारखंड जर्नल ऑफ सोशल डेवलपमेंट, वॉल्यूम 4 अंक1 – 2, पृ. 22–31

यादव प्रकाश, रवि कुमार चंद्रदीप और वर्षा (2012). वूमेन वर्कर्स इन इंडिया, न्यू सेंचुरी पब्लिकेशंस, नई दिल्ली।

जनगणना रिपोर्ट 2011, भारत सरकार

मल्होत्रा एस. टंडन (2010), ए रिपोर्ट ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स : कंडीशंस, राइट्स एंड रिस्पांसिबिलिटी – ए स्टडी ऑफ पार्ट टाइम डॉमेस्टिक वर्कर्स इन दिल्ली. जागोरी, बी – 114

जागोरी (2010). ए रिपोर्ट ऑन डॉमेस्टिक वर्कर्स : कंडीशंस, राइट्स एंड रिस्पांसिबिलिटी, नई दिल्ली

ण